[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 , खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 08/2025 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2025

का.आ. (अ).– केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम,ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए ,जिनके उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर –9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर –9ग में सुलह विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन प्ररूप जीएसटीआर –9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पश्चात 31 मार्च ,2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर –9ग प्रस्तुत करें , जो कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर –9 प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के आधिक्य में है,का अभित्यजन करती है।

परंतु उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान की गई विलंब फीस की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी।

[सं. सीबीआईसी–20001/15/2024–जीएसटी]

(रौशन कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव